



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175282

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5689/2026

नजीम खान

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

आशुतोष प्रसाद शुक्ला, गिरजा शंकर

सेन, कृष्ण दत्त अवस्थी, मोहम्मद अशरफ

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष प्रसाद शुक्ला और श्री गिरजा शंकर सेन तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 340/2025 धारा 69, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना शेरगढ़, जिला बरेली में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और पीड़िता एक बालिग विवाहित महिला है जिसके दो बच्चे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी ने शादी का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। आगे यह भी बताया गया है कि पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के अपराध का समर्थन नहीं करती है। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी 10.1.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि यदि अपीलार्थी को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, अपीलार्थी ने विवाह के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता एक बालिग विवाहित महिला है जिसके दो बच्चे हैं और पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है। अपीलार्थी 10.1.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 मामले में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी - **नजीम खान** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले अपीलार्थी और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की जमानत मंजूरी की नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से अपीलार्थी को ईमेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजी जाए, यह आदेश 31.01.2023 को स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 पर दिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।